



भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित



HDFC ERGO

# प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

मौसम - रबी 2022-23

सुरक्षित कृषक, राष्ट्र का गौरव

## उद्देश्य :

1. प्राकृतिक आपदाओं से अधिसूचित क्षेत्र में बोई गयी अधिसूचित फसल को बीमा कवर प्रदान करना।
2. कृषि में उन्नत तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देना।
3. आपदा वर्षों में कृषि आय को स्थिर रखना।

## पात्र कृषक: अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी कृषक (ऋणी/गैर ऋणी)

(ऋणी कृषकों को बीमा में शामिल न होने के सम्बन्ध में अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित बैंकों को बीमा की अन्तिम तिथि से 7 दिन पूर्व देना अनिवार्य है। ऐसे कृषक बीमा में तभी शामिल हो सकते हैं जब वह अपना प्रार्थना पत्र पुनः बीमा में शामिल होने हेतु देंगे।)



अधिसूचित फसल	बीमित राशि	कृषक द्वारा देय प्रीमियम	बीमा कराने की अन्तिम तिथि
मसूर, जौ, मटर, गेहूं, चना, सरसों	प्रति हेक्टेयर	अधिकतम बीमित राशि का 1.5%	31 दिसम्बर, 2022
आलू	संसूचित राशि	अधिकतम बीमित राशि का 5%	

(जनपदवार/फसलवार बीमित राशि एवं देय प्रीमियम पीछे पृष्ठ पर अंकित है)

## बीमा कहाँ करायें/जानकारी हेतु

सम्बन्धित बैंक शाखा

जन सेवा केन्द्र (CSC)

भारत सरकार के PMFBY Portal ([www.pmfby.gov.in](http://www.pmfby.gov.in))

क्रियान्वयक अभिकरण के अधिकृत बीमा मध्यस्थ/कार्यालय

## बीमा से आच्छादित जोखिम

ग्रामपंचायत स्तर पर (क्षेत्र आधारित)	व्यक्तिगत आधार पर
<ul style="list-style-type: none"> <li>• असफल बुआई की स्थिति में।</li> <li>• फसल की अवधि में प्राकृतिक आपदा के नुकसान की स्थिति में।</li> <li>• फसल कटाई के आधार पर प्राप्त वास्तविक उपज में गारन्टीड/थैशोल्ड उपज की तुलना में कमी होने की स्थिति में।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• स्थानीय आपदा - खड़ी फसलों को ओलावृष्टि, जलभराव (फसल धान को छोड़कर), भूस्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग के कारण क्षति की स्थिति।</li> <li>• फसल कटाई उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी गयी फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात/चक्रवाती वर्षा/बेमौसम बारिश से क्षति की स्थिति। (उपरोक्त आपदा स्थिति में कृषक द्वारा 72 घण्टे के अन्दर सूचना देना अनिवार्य है।)</li> </ul>

## फसल नुकसान के सम्बन्ध में सूचित करने हेतु

टोल फ्री नं.: 1800 2660 700/  
1800 889 6868

सम्बन्धित बैंक शाखा

कृषि/उद्यान विभाग कार्यालय

क्राफ इन्श्योरेन्स ऐप



कृषक बीमा सम्बन्धी अधिक जानकारी के लिए राज्य अधिसूचना, बीमा प्रपत्र, भारत सरकार के PMFBY Portal ([www.pmfby.gov.in](http://www.pmfby.gov.in)) कृषि/उद्यान विभाग, टोल फ्री नं. एवं क्रियान्वयक अभिकरण से सम्पर्क करें।

एचडीएफसी अर्गो जनरल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड

**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम रबी 2022-23 के अन्तर्गत  
जनपद/फसलवार बीमित राशि एवं कृषक देय प्रीमियम राशि (रु./हे.)**

(रबी 2022-23 मौसम के अन्तर्गत एचडीएफसी को अधिकृत जिलों के अधिसूचित फसलों में बीमा के लिए देय प्रीमियम दर - मसूर, जौ, मटर, गेहूं, चना, सरसों - बीमित राशि का 1.5%, आलू - बीमित राशि का 5% )

मौसम	जिला	फसल	बीमित राशि	कृषक प्रीमियम राशि
रबी 2022- 23	भदोही	गेहूं	62362	935.43
	चंदौली	मसूर	38563	578.44
		आलू	126600	6330.00
		जौ	33096	496.44
		मटर	59608	894.12
		गेहूं	59629	894.43
		चना	57486	862.29
	गाजीपुर	मसूर	53414	801.21
		आलू	161595	6479.95
		जौ	33147	497.20
		मटर	67726	1015.89
		गेहूं	57642	864.63
		चना	85118	1276.77
	जौनपुर	आलू	115000	5750.00
		मटर	68300	1024.50
		गेहूं	62824	942.36
		चना	77756	1166.34
		सरसों	54348	815.22
		ललितपुर	मसूर	59434
	जौ		38668	580.02
	मटर		75824	1137.3
	गेहूं		54023	810.34
	चना		65813	987.19
	सरसों		30179	452.68
	मिर्जापुर	मसूर	44429	666.43
		आलू	147226	7361.30
		मटर	61380	920.70
		गेहूं	53207	798.10
		चना	58929	883.93
		सरसों	32825	492.37
	सोनभद्र	मसूर	38333	574.99
		मटर	46025	690.37
		गेहूं	45422	681.33
		चना	58266	873.99
		सरसों	26028	390.42
	वाराणसी	मसूर	43584	653.76
		आलू	136600	6652.42
		मटर	61637	924.55
		गेहूं	61858	927.87
		चना	63609	954.13

ई-मेल: [pmfby.up@hdfcergo.com](mailto:pmfby.up@hdfcergo.com)

वेबसाइट: <https://pmfby.gov.in/farmer>